न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या—27/22 दायर दिनांक— 11.11.2022

जीसीएमएस नं. 2022/677

1. जगन पुत्र श्री रामचन्द्र जाति खटीक निवासी ग्राम ताली तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
2. सिवाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति खटीक निवासी ग्राम ताली तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
3. गोपाल कुमार पुत्र श्री भौरू जाति खटीक निवासी ग्राम ताली तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
4. प्रेम पुत्र श्री भौरू जाति खटीक निवासी ग्राम ताली तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
5. बच्चू पुत्र पुत्र श्री भौरू जाति खटीक निवासी ग्राम ताली तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
6. बल्ला पुत्र श्री भौरू जाति खटीक निवासी ग्राम ताली तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

——वादीसायल

बनाम

3. वचन पुत्र चौथी जाति जाटव, निवासी— ताली का पुरा निवासी सूरौठ, तहसील—हिण्डौनसिटी, जिला करौली राज0

——प्रतिवादीगण गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता प्रार्थी
2.अप्रार्थी 1 के खिलाफ एक पक्षीय कारवाई।

<u>निर्णय दिनांक 27.03.2024</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 2779 रकबा 0.38 है0, 2783 रकवा 0.31 है0, 2797 रकबा 0.33 है0, 2798 रकबा 0.18 है0, खसरा न0 2778 रकबा 0.19 है0, 2780 रकबा 0.48 है0, 2782 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.97 है0 स्थित ग्राम [illegible] तहसील सूरौठ में सायलान 1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं जिससे गैरसायल का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन गैरसायल सायलान की खातेदारी व क[illegible] कब्जा करने की फिराक में है।

बांका दिनांक 03.11.2022 को सायलान अपने हिस्से की आराजीयात में बो[illegible]ई सरसों की फसल की निराई—गुडाई का कार्य कर रहे थे तो गैरसायल अपने हमराहियों के साथ हाथों में लाठी, डण्डा, लेकर उक्त आराजीयात पर आ धमका और आते ही सायलान से कहने लगा मैं तुम्हें इस जमीन पर काश्त नहीं करने दूंगा, तो सायलान ने कहा कि भाई यह जमीन तो हमारी है और हम इस जमीन में 50 साल से बजमाने बुजुर्गान काश्त करते चले आ रहें हैं, तथा उक्त जमीन में हमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurja
Date: 2024.09.25 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested

हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है, जिसे हम साल–दर–साल, फसल–दर–फसल काश्त करते चले आ रहे हैं। तो गैरसायल एकदम से नाराज हो गया और सायलान को स्पष्ट धमकी कि अब मैं इस जमीन पर जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य करूँगा और तुम्हे डण्डे के बल पर बेदखल करके रहूँगे सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, सायलान ने उक्त आराजीयात में चारा–फूस भरने के लिये पाटौर भी चढाई हुई है, जिसे भी गैरसायल अपने साथ आये हमराहियों के साथ मिलकर ध्वस्त करने पर आमादा है इस प्रकार गैरसायल अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो सायलान को अपूर्तणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए सायलान वखिलाफ गैरसायल प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। प्राईमाफेसी केश, अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे आराजी खसरा नम्बर 2779 रकवा 0.38 है0, 2783 रकबा 0.31 है0, 2797 रकबा 0.33 है0, 2798 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 2778 रकबा 0.19 है0, 2780 रकबा 0.48है0, 2782 रकबा 0.10 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.97 है0 स्थित ग्राम सूरौठ, तहसील सूरौठ से सायलान को बेदखल का स्वयं कब्जा नहीं करे, सायलान के हिस्से में कोई निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायलान के हक–हकूको पर प्रतिकूल प्रभाव पडे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल की तलवी मूल दावे में प्रतिवादी की तलवी होने पर गैर सायल की तलवी की गई, गैरसायल बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 8.2.2024 द्वारा गैरसायल के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सायलान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई, सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रकरण में सायलान अधिवक्ता एक पक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की भूमि से गैरसायलान का संलग्न दस्तावेजों जमावंदी संवत 2071–74 के, खाता संख्या 615 व 617 के आधार पर कोई संबंध व ताल्लुक नहीं हैं तथा उभयपक्ष की दौरानेदावा पेचीदिगियां पैदा नहीं हो, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 11.11.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ता फैसला होने तक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की यथास्थिति ता फैसला बनाए रखें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/3/24

(... गुर्जर)

... अधिकारी

... जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:19 IST
Reason: SelfAttested